प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 28 मार्च, 2018**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत मै0 फूड स्मिथ इण्डिया प्रा0लि0,1733, द्वितीय तल भगवत बिल्डिंग, गुरूदारा रोड, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली का ग्राम-गदनापुर आमिल, कमालगंज, फरूर्खाबाद में स्थित मसाला प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु स्वीकृत अनुदान की द्वितीय किस्त रू0-13.635 लाख (रूपये तेरह लाख तिरसठ हजार पांच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0-2792/खा0प्र0मि0/1391/17-18, दिनांक 10 मार्च, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-431/58-2-2013-17/13, दिनांक-08.08.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 13.01.2015 द्वारा **मै0 फूड स्मिथ इण्डिया प्रा0लि0,1733, द्वितीय तल भगवत बिल्डिंग, गुरूदारा रोड, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली का ग्राम-गदनापुर आमिल, कमालगंज, फरूर्खाबाद को** मसाला प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अनुदान की धनराशि रू0-27.27 लाख (रूपया सत्ताईस लाख सत्ताईस हजार मात्र) स्वीकृत किया गया। उक्त निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-1/2016/1297/58-2-2015-900(11)/2015, दिनांक: 06.01.2016 द्वारा प्रथम किस्त 0-13.635 लाख (रूपये तेरह लाख तिरसठ हजार पांच सौ मात्र) के भुगतान की अनुमति प्रदान की गयी थी।

4. वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत पूर्व में संचालित रा य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना में गत वर्षों के लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-04/2018/292/58-2-2018-300(16)/2017, दिनांक- 23.02.2018 द्वारा लेखाशीर्षक-2401-119-01-0119-27-सब्सिडी के अन्तर्गत रू0-99.21 लाख (रूपया निन्यानबे लाख इक्कीस हजार मात्र) की व्यवस्था आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

5. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध धनराशि (प्रस्तर-3) में से निदेशक, उद्यान एवं खा द्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं आंकलन अनुसार **मै0 फूड स्मिथ इण्डिया प्रा0लि0,1733, द्वितीय तल भगवत बिल्डिंग, गुरूदारा रोड, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली का ग्राम-गदनापुर आमिल, कमालगंज, फरूर्खाबाद में स्थित** को अनुदान की द्वितीय किस्त कुल धनराशि रू0-13.635 (रूपये तेरह लाख तिरसठ हजार पांच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा कराया जायेगा।

2- अनुदान हेतु स्वीकृत द्वितीय किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाणपत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3- संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा किया जायेगा तथा उसकी मासिक आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2018 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि जारी करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

7- उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन स्वयं/ वित्त नियंत्रक तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8- भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

9- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11, दिनांक 29 मई, 2012 का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 एवं संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.11.2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-51/2018/430(1)/58-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) आयुक्त/जिलाधिकारी, फरूर्खाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in